रजिस्ट्री स. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 147] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 30, 1983/भाद्र 8, 1905
No. 147] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 30, 1983/BHADRA 8, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 36—आई० टी०सी० (पी०एन०/83)

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1983

विषय :—भारत-फ्रांस सामान्य न्यायाचार 1981-82 (फ्रेंच क्रेडिट 1981-82) के लिए लाइसेंस शर्तें ।

(मिसिल सं० आई० पी० सी० 23(8)/83/सि जारी) भारत फ्रांस सामान्य न्यायाचार 1981-82 से संबंधित लाइसेंस शर्तें जो शर्तें इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, सूचना के लिए अधिसूचित की जाती है ।

पी० सी० जैन, मुख्य नियंत्रक,
आयात एवं निर्यात

वाणिज्य में मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 36-आई० टी० सी० (पी० एन०)/83 दिनांक 30 अगस्त, 1983 के लिए परिशिष्ट

1. आयात लाइसेंस लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर संविदा करने के लिए चार महीने और पोतलदान पूर्ण करने के लिए 12 महीने की प्रारम्भिक वैधता अवधि के लिए जारी किया जाएगा । लेकिन पूंजीगत माल के आयातों के मामले में पोतलदान पूर्ण करने के लिए लाइसेंस की प्रारम्भिक वैधता जारी होने की तिथि से 24 महीनों के लिए होगी ।

2. आयात लाइसेंस का रुपये में मूल्य, राजस्व (सीमा शुल्क) विभाग द्वारा अधिसूचित और आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि को प्रचलित और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना सं० 78-आई०टी०सी (पी० एन०)/74, दिनांक 6 जून, 74 के पैरा 2 के अनुसार आयात लाइसेंस (सीं) के मुख्य भाग में निर्दिष्ट मुद्रा विनिमय की दर के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा, यह सार्वजनिक सूचना यह भी व्यवस्था करती है कि सीमा शुल्क प्राधिकारी और विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी आयात लाइसेंस (सी) में निर्दिष्ट मुद्रा विनिमय की दर पर लाइसेंसस (सीं) के मूल्य के नाम ऋणांकन करेंगे ।

3. प्रत्येक लाइसेंस पर एक शीर्ष "फ्रान्सिसी ऋण परियोजना भाग" या " फ्रांस ऋण गैर परियोजना भाग", जैसा भी मामलो हो, होगा । लाइसेंस कोड वर्गीकरण संख्या में दो प्रत्येय "एस एफ ई" परियोजना के लिए और "एस एफ एन" गैर-परियोजना के लिए होंगे ।

4. आयात लाइसेंस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर आयातक को आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक तथा मूल्य और जिस तिथि तक संविदा दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे उसकी सामान्य तिथि निर्दिष्ट करते हुए आयात लाइसेंस की प्राप्ति के तथ्य से आर्थिक कार्य विभाग (ई० ई० सी०-1 अनुभाग) को अवगत करना चाहिए ।

5. जब तक नीचे के पैरा-25 की शर्त के अनुसार पूर्ण संविदा दस्तावेज चार महीने की निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं कर दिए जाते तब तक यह नही समझा जाएगा कि संविदा करने से संबंधित शर्तों का अनुपालन कर लिया गया है ।

6. जिस मामले में इस अनुबंध का चार महीनों के भीतर अनुपालन नही किया जाएगा, उसमें आयात लाइसेंस अवैध समझा जाएगा । लेकिन, पार्टी द्वारा आयात लाइसेंस की शर्तों का समय के भीतर अनुपालन न करने के कारण बताते हुए मूल लाइसेंस के साथ आवेदन-पत्र लाइसेंस प्राधिकारी को देने पर आयात लाइसेंस पुनः वैध किया जा सकता है ।

7. पुनर्वैधीकरण के लिए ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा जो अधिक से अधिक चार महीनों की और आगे अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते हैं । लेकिन, यदि वृद्धि आयात लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 8 महीने से अधिक मांगी गई है तो ऐसे प्रस्ताव लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा निरपवाद रूप से आर्थिक कार्य विभाग (ई० ई० सी०-1 अनुभाग), वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे ।

2. संविदा करना

8. फ्रांसिसी ऋण के अधीन जारी किए गए लाइसेंस के प्रति केवल एक ही संविदा निश्चित कीमत के आधार पर फ्रांसिसी संभरक के साथ करनी है ।

9. लेकिन, एक आयात लाइसेंस के अधीन से एक अधिक संविदाएं तभी की जा सकती है जबकि आदेश देने से पहले ऐसा करने के कारण बताते हुए आर्थिक कार्य विभाग से विशेष रूप से अनुमति प्राप्ति कर ली गई हो ।

10. नीचे खंड 5 में निर्धारित किया विधि के अनुसार जब एक बार संविदा अधिसूचित कर दी गई हो तो उसके बाद उसमें मुख्य संविदा के मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक संकलनों के तरीके से भी संशोधन स्वीकार नही किया जाएगा ।

यदि किसी मामले में भारतीय आयातक को यह अनुभव हो जाता है कि मुख्य संविदा में इसके मूल्य से 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि के लिए संशोधन करने आवश्यक होंगे तो उसे तुरन्त ही मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात और वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, ई० ई० सी०-1 अनुभाग-1 को मामलों के पूर्ण तथ्यों की सूचना देनी चाहिए और उनके मार्ग दर्शन मांगना चाहिए ।

11. संविदा में सामान्यतः दोनों पार्टियों अर्थात् भारतीय आयातक और फ्रांसीसी संभरक द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता शामिल होगा अथवा इसमें भारतीय आयातक द्वारा दिया गया आदेश और फ्रांसीसी संभरक द्वारा स्पष्ट शब्दों में उस आदेश की स्वीकृति का पत्र शामिल होगा ।

12. जिस संविदा में दोनों पार्टियो के बीच विभिन्न शर्तों को बार-बार संशोधित/परिशोधित करने के पत्राचारों की श्रंखला शामिल होंगी वह स्वीकार नही की जाएगी । ऐसे मामलों मे दोनो पार्टियो द्वारा स्वीकार की गई और हस्ताक्षरित शर्तों सहित एक अन्तिम दस्तावेज तैयार करने की सलाह दी जाती है । समुद्रपार संभरको के भारतीय अभिकर्ताओं के लिए आदेश और/या ऐसे भारतीय अभिकर्ताओं द्वारा आदेश के लिए पुष्टिकरण स्वीकार नही किए जाते हैं ।

3—संविदा की शर्तें

13. संविदा लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर करनी चाहिए । यदि बीमा किसी भारतीय बीमा कंपनी को भारतीय रुपये में चुकाया जाता है तो संविदा लागत तथा भाड़े के आधार पर की जा सकती है, जो कि सरकारी अभिकरण या सरकारी क्षेत्र के संस्थानों द्वारा हस्ताक्षरित संविदाओं के लिए प्रत्येक मामले में अनिवार्य है । लागत-बीमा-भाड़ा संविदाओं के मामले में संविदा में जहाज पर्यन्त निशुल्क कीमत, भाड़ा, बीमा खर्चे और लागत तथा भाड़ा संविदाओं के मामले मे जहाज पर्यन्त नि.शुल्क कीमत और भाड़ा खर्च स्पष्ट रूप से अलग-अलग निर्दिष्ट होने चाहिए

यदि कोई आयातक जहाज पर्यन्त नि.शुल्क आधार पर संविदा करना चाहता है तो ऐसा करने के कारण देते हुए आर्थिक कार्य विभाग (ई० ई० सी०-1 अनुभाग), वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली से पूर्व अनुमति मांगनी चाहिए ।

14. यदि फ्रेंच संभरक के भारतीय अभिकर्त्ताओं को कोई कमीशन चुकाया है/जाना है तो संविदा के मूल्य से अलग फ्रांसीसी फ्रैंकों में दिखाया जाएगा । भारतीय अभिकर्ता का कमीशन रुपये में चुकाया जाएगा परन्तु आयात लाइसेंस के मूल्य के प्रति जोड़ा जाएगा ।

15. संविदा का रुपये में मूल्य आयात लाइसेंस के लिए लागू मुद्रा विनिमय की दर के अनुसार निश्चित किया जाएगा । देखिए उपर्युक्त पैरा 2 ।

संविदा की मूल्य सीमाएं

16. प्रत्येक संविदा का मूल्य निम्नलिखित प्रत्येक श्रेणी के सामने निर्दिष्ट धनराशि से कम होना चाहिए ।

	फ्रा० फ्रैंक
(1) बृहत (भारी) औद्योगिक परियोजनाएं और भारी उपस्कर (परियोजना लाइन) के लिए परियोजनाएं	5,000,000
(2) उर्वरक (गैर-परियोजना)	7,00,000
(3) अन्य सामान (गैर-परियोजना लाइन)	80,000

माल का उद्गम स्थान

17. माल फ्रांस मूल का होना चाहिए । माल के उद्गम स्थान के विषय में संविदा में एक अनुबंध समाविष्ट होना चाहिए । जहां कहीं ऐसे माल के एक भाग की स्वीकृति दी जाती है जो गैर फ्रान्स उद्गम का हो तो तीसरे देश के आयातों के लिए फ्रांसीसी प्राधिकारियों के अनुमोदन का साक्ष्य प्रदर्शित करने वाला एक पत्र संविदा के साथ होना चाहिए ।

पोतलदान का पत्तन

18. यदि आवश्यक हो तो माल गैर फ्रांसीसी पत्तनों से भी लादा जा सकता है ।

भुगतान की शर्तें:

19. फ्रांसीसी क्रेडिट में आस्थगित भुगतान की व्यवस्था नहीं है । इसलिए फ्रांसीसी संभरक को पूरा भुगतान पीतलदानों पर निर्माण पूरा हो जाने पर संयंत्र के नियोजित हो जाने पर नीचे की कंडिकाओं में निर्दिष्टानुसार किया जाएगा ।

20. **अग्रिम भुगतान :** संविदा लागू होने के समय चुकाई जाने वाली संभरणों की जहाज पर्यन्त नि : शुल्क कीमत कम से कम 5 प्रतिशत अग्रिम भुगतान की अवश्य व्यवस्था होनी चाहिए । अन्य शर्तें जो किसी विशेष प्रकार के सम्बन्ध माल के लिए सामान्य अन्तराष्ट्रीय वाणिज्यिक प्रणाली के अनुसार क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच तय की जाती है की भी व्यवस्था की जा सकती है ।

21. लेकिन, जिस मामले में 5 प्रतिशत से अधिक अग्रिम भुगतान के लिए व्यवस्था करना हो उसमें कोई वचनबद्धता करने से पहले पूर्ण औचित्य के साथ आर्थिक कार्य विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए ।

22. **अन्य भुगतान : (क) औद्योगिक परियोजना :** तत्क्षण भुगतान की धनराशि के अतिरिक्त शेष धनराशि संविदा के अधीन उपस्कर के अन्तिम पोतलदान के समय या निर्माण के पूर्ण होने के समय या संयंत्र के नियोजित हो जाने के समय चुकाने की अनुमति है ।

जिस मामले मे संविदा के अंतर्गत आने वाले संभरण/सेवाएं ऐसी हो कि उनमें ऐसी एक निष्पादन गारंटी की आवश्यकता हो जिसमें इस संबंध में एक अनुबंध की आवश्यकता हो कि 10 प्रतिशत की अन्तिम किश्त माल के वितरण के पूर्ण होने या परियोजना पूर्ण होने के पर्याप्त समय के बाद तक देय नहीं होगी तो ऐसे मामले में आयातकों को चाहिए कि वे 100 प्रतिशत भुगतान अन्तिम पोतलदान के समय करने की शर्त से सहमत हो जाए और यह इस शर्त के अधीन है कि फ्रांसीसी संभरक द्वारा भारतीय आयातक को किसी अनुमोदित बैंक से एक निष्पादन गारन्टी प्रस्तुत की जाती है, तो ऐसी गारन्टी अन्तिम पोतलदान के माल के वितरण के पर्याप्त समय जो भारतीय आयातक और फ्रांसीसी संभरक के बीच आपस में तय किया जाए के बाद मुक्त की जानी चाहिए ।

लेकिन, भुगतान परियोजना की किस्म पर निर्भर करता है, औद्योगिक परियोजनाओं के लिए संविदाओं के लिए भुगतान की व्यवस्था भी नीचे उप कंडिका (ख) में वर्णित पण्य वस्तुओं की तरह की जा सकती है ।

(ख) पण्य वस्तुएं— पण्य वस्तुएं (हल्के उपस्कर, फालतू पुर्जे, संघटक रसायन, उर्वरक, अन्य कच्ची सामग्री आदि) के लिए संविदाओं में तत्क्षण भुगतान बाद शेष धन राशि प्रत्येक लदान द्वारा शामिल माल के मूल्य के अनुसार पोत-परिवहन अनुसूची के आधार पर यथा अनुपात देय होगी ।

अन्य शर्तें:-

फ्रांसीसी क्रेडिट के अंतर्गत संविदा को वित्त दान के लिए अहर्क बनाने के लिए ऊपर निर्दिष्ट उपबंधों के अतिरिक्त और संविदा करने वाली पार्टियो द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले किसी अन्य उपबंधों के भी अतिरिक्त इसमें निम्नलिखित उपबंध भी उचित रूप से समाविष्ट होने चाहिए:-

(1) संविदा करने वाली दोनों पार्टियां सहमत है कि संविदा भारत के फ्रांस वित्तीय शर्तों के अनुसार और उसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गई लाईसेंस शर्तों के अनुसार विशेष फ्रांसीसी क्रेडिट के अंतर्गत वित्त दान के लिए भारतीय और फ्रांसीसी प्राधिकारियों के अनुमोदन के अधीन है ।

(2) फ्रांसीसी संभरक इस बात से सहमत है कि उसे इन लाईसेंस शर्तों के अनुबंध 5 में सूची बद्ध किसी भी आवासीय बैंकों को दस्तावेज प्रस्तुत करने पर फ्रांसीसी फ्रेंक में भुगतान किया जाएगा भुगतान भारतीय और फ्रांसीसी प्राधिकारियों द्वारा संविदा के अनुमोदन के बाद सहायता लेखा एवं लेखापरीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए "अपरिवर्तनीय अनुदेश पत्र" के आधार पर आवासीय बैंक द्वारा किया जाएगा ।

(3) भारतीय आयातक और फ्रांसीसी संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेज प्रस्तुत करने को सहमत हैं जो भारत सरकार और फ्रांसीसी सरकार के बीच फ्रांसीसी क्रेडिट व्यवस्थाओं के अंतर्गत मांगे जाएं

(4) औद्योगिक परियोजनाएं भारतीय आयातक, फ्रांसीसी और यदि कोई हो तो संभरक का यह प्रतिनिधि इस बात से सहमत है कि ऐसी सारी धनराशि जो आयातक को संभरक की ओर से किसी भी कारण से देय हो तो वह आवासीय बैंक की दी जाएगी, संभरक उस सारी धनराशि का आवासीय बैंक को सीधे ही भुगतान करेगा जो संभरक से और यदि कोई हो तो उनके सहयोगी प्रतिनिधियों से आयातक को देय हो और प्रतिनिधि-मंडल के ऐसे आबंटन पत्रों में निर्धारित धनराशि की अदला बदली वित्त मंत्रालय/फ्रांसीसी प्राधिकारियों के अनुरोध पर की जाएगी ।

प्रचलित गारन्टी

24. आयातक समझौते में ऐसी प्रथागत गारन्टी (यों) की व्यवस्था कर सकता है और दे सकता है जो उसके हित की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो।

4. संविदा दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण

25. संविदा समाप्त होने के 20 दिन के भीतर आयातक को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ एक पत्र वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग, (ई ई सी-1 अनुभाग) नार्थ ब्लाक नई दिल्ली को भेजना चाहिए :

(1) भारतीय आयातक और फ्रांसीसी संभरक दोनों द्वारा हस्ताक्षरित और अंग्रेजी भाषा में विधिवत कार्यान्वित संविदा और बाद में किए गए किसी संशोधन (नों) की 10 प्रमाणित प्रतियां।

(2) आयातक द्वारा फ्रांसीसी संभारक को दिए गए आदेश की फ्रांसीसी संभरक द्वारा संविदा स्वीकृति की निष्पादन तिथि की संविदा करने के लिए वैध आयात लाईसेंस की दो फोटो प्रतियां।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत विदेशी मुद्रा के व्यापारी अनुसूचित बैंक से बैंक गारन्टी (अनुबंध 1 के अनुसार) यह बैंक गारन्टी सरकारी विभागों और सार्वजनिक संस्थानों द्वारा प्रस्तुत नहीं की जानी है।

(4) प्राधिकार प्रपत्र जारी करने के लिए अनुबंध 2 में निर्धारित प्रपत्र में एक आवेदन पत्र (तीन प्रतियों में) 1 ठेके पर आगे कार्रवाई केवल तब तक की जाएगी जब कि उपर्युक्त (1) से 4 तक में सूचीबद्ध दस्तावेज आयातक द्वारा प्रस्तुत कर दिए गए हों।

संविदा को अधिसूचित करना

26. संविदा आर्थिक कार्य विभाग द्वारा आर्थिक कार्यों के सलाहकार, फ्रांसीसी दूतावास, नई दिल्ली को अधिसूचित की जाएगी, यदि यह पूर्ण है, दस्तावेज बैंक गारंटी आदि सहित सही है तो आयात लाइसेंस संविदा करने के लिए वैध है और फ्रांसीसी क्रेडिट के अधीन वित्तदान के लिए अर्हक समझा जाएगा।

27. संविदा उपर्युक्त अनुसार आर्थिक कार्य विभाग द्वारा इसकी अधिसूचना के 20 दिनों के बाद लागू समझी जाएगी बशर्ते कि इस अवधि के भीतर फ्रांसीसी क्रेडिट दूतावास द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई जाती।

28. संभरक को भुगतान संविदा में निर्दिष्ट आवासी बैंक को या यदि आवासीय बैंक संविदा में निर्दिष्ट न किया गया हो तो बैंक फ्रेंकाहज डयू कामर्स एक्सटीरियर, पेरिस की अनुबंध 3 में सूचीबद्ध दस्तावेज प्रस्तुत करने पर फ्रांसीसी राजकोष ऋण और बकों के क्रेडिट से, सहायता लेखा और लेखापरीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय, यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले "अनुदेश पत्र" के आधार पर संविदा प्रभावी होने पर किए जाएंगे।

29. फ्रांसीसी क्रेडिट के अंतर्गत जारी किए गए आयात लाइसेंस के अधीन नीचे की शर्त 31 के सिवाय भारत से किसी भी धन प्रेषण की अनुमति नहीं है।

30. ऊपर उल्लिखित अनुदेश पत्र के अनुसार भुगतान प्रभावी हो जाने के बाद धनराशि चुकाए गए दस्तावेज अर्थात अग्रिम और बाद वाले भुगतानों के वाणिज्यिक बीजक, बैंक गारंटी, यदि कोई हो, सौंदा किए गए मूल दस्तावेज आदि और बैंक खर्चों (एक प्रतिशत दस्तावेजी कारण खर्चों का 1/8 और उस पर 17.6 प्रतिशत कर) और डाक खर्च आदि के ब्यौरे आवासीय बैंक द्वारा निम्नलिखित को भेजे जाएंगे :—

(1) भारत में आयातक के उस बैंक को जिसने निजी क्षेत्र के निर्यातों के मामले में बैंक गारंटी प्रदान की है या

(2) सार्वजनिक क्षेत्र प्रक्रमों, राज्य सरकारों जिसमें राज्य विद्युत बोर्ड भी शामिल हैं और केन्द्रीय सरकार के विभागों के मामले में भारत के स्टेट बैंक की मनोनीत शाखा को या राष्ट्रीय कृत बैंकों में से किसी एक बैंक को।

31. आवासीय बैंक से बैंक प्रभारों की सूचना प्राप्त करने के सात दिनों के भीतर ही भारतीय बैंक केवल प्रभारों और डाक खर्चों की धनराशि को भारत सरकार के लिये लेखे प्रभावित किए बिना फ्रांस के सम्बद्ध बैंक को सीधे ही प्रेषण करेगा।

32. इस कार्य के लिये, उनकी गारन्टी के अंतर्गत अपेक्षित धनराशि के अलावा भारतीय बैंक द्वारा भारतीय आयातक से आवश्यक रुपये वसूल किए जाएंगे।

33. केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा आयातों के मामले में केवल प्रभारों सहित बैंकिंग प्रभारों एवं डाक खर्चों के प्रेषण की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार के विभागों के उन बैंकरों द्वारा की जाएगी जिन्हें दस्तावेज भेजे जाते हैं।

7. रुपये में भुगतान को प्रभावित करना

34. ऊपर की कंडिका 30 में उल्लिखित दस्तावेजों की प्राप्ति के अधिक से अधिक 10 दिनों के भीतर ही जिस बैंक ने गारंटी जारी की है वह या भारत के स्टेट बैंक की नामित शाखा या राष्ट्रीय कृत बैंक, बीजक में यथा संदर्भित विदेशी संभरकों को किए गए भुगतान के समतुल्य रुपये जमा करने की व्यवस्था करेगा और साथ ही संभरकों को किए गए भुगतानों पर यथा मूल्य 1 प्रतिशत की दर से कमीशन और आनुषंगिक खर्च जमा करने की व्यवस्था भी करेगा। उसके अतिरिक्त विदेशी संभरकों

के किए गए भुगतान एवं समतुल्य रुपये जमा करने की तारीख के बीच वास्तविक अवधि के लिए उपर्युक्त धनराशि (अर्थात समतुल्य रुपया और 1 प्रतिशत यथा मूल्य) पर ब्याज सार्वजनिक सूचना सं० 46आई०टी०सी० (पी०एन०) 76, दिनांक 16-6-76 के अनुसार प्रथम तीस दिनों के लिए 9% वार्षिक की दर से और इससे अधिक अवधि के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से या अन्य कोई धनराशि जो भी भारत सरकार द्वारा मांगी जाए वह भी सरकारी खाते में जमा की जाएगी। ब्याज के भुगतान से संबंधित प्रावधान केन्द्रीय सरकार के विभागों के लिए लागू नहीं होगा।

समतुल्य रुपये का आकलन सार्वजनिक सूचना सं० 108-आई०टी०सी० (पी०एन०)/72 दिनांक 21-7-72 तथा 8-आई०टी०सी० (पी०एन०)/76, दिनांक 17-1-76 द्वारा यथा संशोधित वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 15-आई०टी०सी० (पी०एन०)/72, दिनांक 28-1-72 में दिए गए फार्मूले के आधार पर मिली-जुली दर पर किया जाएगा या मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से समय-समय पर अधिसूचित सूचनाओं के आधार पर किया जा सकता है।

35. भारत के जिस सम्बद्ध बैंक ने भारत के स्टेट बैंक की नामित शाखा की या राष्ट्रीयकृत बैंक, जो भी हो, की गारन्टी दी है उसका इस बात का सुनिश्चय करने का दायित्व होगा कि आवासीय बैंक मूल दस्तावेज (ऊपर पैरा 30 में उल्लिखित) आयातक को देने से पहले देय धनराशि सरकारी लेखे में ठीक प्रकार से जमा हो गई है। आयातक को भी इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए, कि बैंकरों से दस्तावेज लेने से पहले देय धनराशि सरकारी लेखे में उचित रूप से जमा कर ली गई है।

36. जमा या तो भारत के रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या भारत के स्टेट बैंक, तीस हजारी शाखा, दिल्ली 6 में किया जा सकता है, या भारत के स्टेट बैंक की स्थानीय शाखा या इसके उपसंगी से डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भारत के स्टेट बैंक की तीस हजारी शाखा, दिल्ली-6 (आदेशिती तथा प्राणी) के नाम में और क्रडिट के लिए उस केन्द्रीय सरकार के लेखे में जमा किया जा सकता है और सार्वजनिक सूचना सं० 74-आई०टी०सी० (पीएन०)/74 दिनांक 31-5-74 में निर्धारित चालान फर्म में किया जाना चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट राजकीय चालान (विधिवत, पूर्ण और प्रेषक द्वारा हस्ताक्षरित हो) के साथ चार प्रतियों में भारत के स्टेट बैंक, दिल्ली-6 को सीधे ही भेजना चाहिए। लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत धनराशि जमा होने है, वह है डिपोजिट्स एंड एडवांसिज (बी) डिपोजिट्स नाट बियरिंग इन्टरेस्ट 843-सिविल डिपोजिट्स फार परचेजज फ्रम एब्रोड अन्डर 550 मिलियन एफ० एफ० जनरल क्रडिट 1981-82।

37. राजकोष चालान की एक प्रति और एक प्रपत्र जिसमें यह प्रमाणित किया गया है। रुपया विधिवत भारत के रिजर्व बैंक या भारत के स्टेट बैंक, तीस हजारी शाखा, दिल्ली-6 द्वारा प्राप्त कर लिया गया है और साथ ही साथ डिमान्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत करने के संबंध में सूचना सम्बद्ध बैंक द्वारा सहायता लेखा नियंत्रक को उनके द्वारा जारी किए गए निदेश पत्र का उल्लेख करते हुए रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजी जानी चाहिए। सार्वजनिक सूचना सं० 75-आई०टी० सी० (पी०एन०)/74, दिनांक 31-5-74 में निर्धारित राजकोष चालान के फर्मेट के अंतर्गत की टिप्पणी-1 के अनुसार डिमान्ड ड्राफ्ट को दर्ज करने की तारीख ही सरकार के खाते में समतुल्य रुपये जमा कराने की तारीख समझी जाएगी। आयातकों से सही अवधि के लिए ब्याज की वसूली का निश्चय करने के लिए यह आवश्यक है कि डिमान्ड ड्राफ्ट को जिस तारीख को दर्ज किया जाता है उसकी सूचना प्रत्येक मामले में निरपवाद रूप से सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को भेज दी जाती है।

38. आयातक के लिए आवश्यक होगा कि वह आवश्यक रुपया केवल व्यापारी के माध्यम से ही जमा करें। भारतीय-बैंक भी सार्वजनिक सूचना सं० 184-आई०टी०सी० (पी०एन०) 68 दिनांक 30-8-68 में अपेक्षित अनुसार आयात लाइसेंस की विदेशी मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठांकन करेगा और आवश्यक "एस" प्रपत्र को भारत के रिजर्व बैंक, बम्बई को भेजेगा।

आयातक द्वारा किए गए रुपया निक्षेपों की पुनरीक्षा:—

39. पोतलदान पूर्ण होते ही या संभरक को अन्तिम भुगतान होते ही परन्तु अन्तिम पोतलदान पारित होने के एक महीने से अधिक नहीं या संभरक को अन्तिम भुगतान होने के बाद आयातक के बैंक द्वारा अनुबंध-4 में दिए गए प्रपत्र में पंजीकृत डाक द्वारा एक विवरण सहायता लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को आयातक की सूचना देते हुए भेजा जाएगा। आयातक के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि सम्बद्ध बैंक द्वारा अनुबंध-4 का प्रपत्र ठीक तरह से तैयार किया गया है और संबंधित अनुदेश पत्र में प्राधिकृत पोत-लदानों के पूर्ण होने के एक महीने के भीतर वह प्रपत्र सहायता लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रक को भेजा गया है। आयातक के लेखे को बन्द करने और जहां कहीं बैंक गारंटी हो उसको रिहा करने के लिए अनुबंध-4 में विवरण आवश्यक है।

आयातक के बैंक की जानकारी में आने पर या सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक द्वारा संकेत करने पर किसी भी कम निक्षेप को तुरन्त सुधार दिया जाएगा और प्राप्त किए गए सम्बद्ध राजकोष चालान की प्रति आयातक के खाते को बन्द करने के प्रयोजनार्थ सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को भेज दी जाएगी।

8. विविध

40 भारतीय आयातक और फ्रेंच सभरको के बीच या भारतीय आयातक और सबद्ध भारतीय बैंक के बीच यदि किसी प्रकार का झगडा होगा तो भारत सरकार किसी प्रकार की जिम्मेदारी नही लेगी ।

41 भारतीय आयातक आयात लाइसेंस के सबध मे उठने वाले किसी एक मामले या सभी मामलो से सबधित सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी भी निदेशो, अनुदेशो या आदेशो का और फ्रासीसी सरकार तथा फ्रासीसी बैंको के साथ ऋण समझौते के अधीन सभी दायित्वो को पूर्ण करने का तुरन्त पालन करेगा ।

42 इसमे निर्धारित किसी भी शर्त का किसी प्रकार का उल्लंघन करने या इसे तोड़ने पर आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 और इसके अंतर्गत जारी किए गए आदेशो के अंतर्गत उचित कार्रवाई की जाएगी ।

अनुबन्ध—1

[पैरा 25(3)]

बैंक गारन्टी बाण्ड

सेवा मे,

भारत के राष्ट्रपति,

भारत के राष्ट्रपति (जिसे आगे सरकार कहा गया है) के हेतु फ्रेंच क्रेडिट की शर्तों के अन्तर्गत (इसके बाद इसे आयातक कहा गया है) को उपर्युक्त फ्रेंच क्रेडिट के प्रति ·· रुपए के लिए जारी किए गए लाइसेंस स० ·· दिनाक ·· के अनुसरण मे आयातक द्वारा के आयात के लिए फ्रासीसी फ्रैंक मे भुगतान करने की व्यवस्था करने के लिए सहमत होते हुए हम · · · · उक्त क्रेडिट के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट रीति और उपयुक्त लेखा शीर्षक मे आवासीय फ्रांसीसी बैंक द्वारा किए गए भुगतान की धनराशि को जमा करने के लिए आयातक द्वारा प्रार्थना करने पर सार्वजनिक सूचना स० 108-आई टी सी (पी एन)/72, दिनाक 21-7-72 द्वारा संशोधित विदेश व्यापार मत्रालय की सार्वजनिक सूचना स० 15-आई टी सी (पी एन)/72, दिनाक 28-1-72 मे दिए गए फार्मूले या रिजर्व बैंक आफ इंडिया के ए० डी० परिपत्र के आधार पर या भारत सरकार की सार्वजनिक सूचनाओ द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित फार्मूले के आधार पर हिसाब लगाकर एफ एफ आई के विनिमय की मिली जुली दर पर परिवर्तित फ्रांसीसी फ्रैंक के समतुल्य भारतीय रुपए तथा उसके साथ उपर्युक्त दर से परिवर्तित 1% यथा मूल्य की दर से कमीशन तथा अन्य प्रभार और उस पर फ्रासीसी सभरको भुगतान करने की तिथि से लेकर सरकार के लेखे मे जमा कराने की तिथि तक के समय के लिए प्रथम तीन दिनो के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक दर एव इससे अधिक अवधि के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक दर के हिसाब से भुगतान की सूचना की प्राप्ती की तिथि मे 10 दिन के भीतर जमा करने की व्यवस्था करने का एतद्द्वारा वचन देते हैं । हम रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, नई दिल्ली, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, तीस हजारी, शाखा दिल्ली-6 मे सरकार के खाते मे नकद निक्षेप करने की व्यवस्था करेंगे और सभव यह नही हो सकने की स्थिति मे स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली-6 (केन्द्रीय सरकार के लेखे मे क्रेडिट के लिए) के नाम मे और इसकी देय दर्शनी हुण्डी के माध्यम से व्यवस्था करेंगे । दर्शनी हुण्डी राजकोष चालान (विधिवत् भरे हुए और प्रेषणकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित) के साथ चार प्रतियो मे स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली-6 को सीधे भेजी जाएगी ।

2 हम बैंक, इस बात की भी जिम्मेदारी लेते हैं कि आयात दस्तावेजो के परक्राम्य सेट और/या संभरक के लिए भुगतानो से सबद्ध अन्य दस्तावेजो की रिहाई आयातक को केवल तभी की जाएगी जब कि उपर्युक्त रुपया निक्षेप किया जा चुका हो ।

3. हम · · बैंक, किसी बकाया धनराशि की जो आयातक द्वारा सरकार को ऐसे स्थान पर और ऐसी रीति से चुकानी हो जैसा कि सरकार निदेश दे तो ऐसी बकाया धनराशि जो · · रुपए से अधिक नही हो या उसका कोई भाग और उस धनराशि के साथ, फ्रेंच सभरको को भुगतान की तिथि से आयातक द्वारा जितने समय तक यह देय रहे उस पर प्रथम 30 दिनो के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक दर से और इससे अधिक अवधि के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक हिसाब से ब्याज तथा कमीशन और यथा मूल्य 1 प्रतिशत की दर से अन्य प्रभारो का आयातक द्वारा भुगतान न करने की त्रुटि पाई जाने पर हम क्षतिपूर्ति करने का और सरकार को क्षतिपूर्ति के दायित्व से मुक्त रखने का वचन देते है । आयातक द्वारा उक्त भुगतान करने की त्रुटि पर या उसकी तरफ से हमारे · · बैंक द्वारा देय धनराशि के सम्बन्ध मे त्रुटि होने पर हमारे · · · · · बैंक के लिए सरकार का निर्णय अन्तिम और अनिवार्य होगा ।

4. हम · · बैंक, यह भी वचन देते है कि हम भारत सरकार के लेखे को प्रभावी किए बिना ही सम्बद्ध बैंक को अदा किए जाने वाले तार खर्चे सहित बैंक तथा डाक प्रभारो को प्रेषित कर देगे ।

5 हम · बैंक, आगे इस बात पर सहमत है कि मुद्रा विनिमय की अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि समानता दर से या अन्यथा परिवर्तन के परिणामस्वरूप, आयातो के मूल्य मे वृद्धि या सविदा के अन्तर्गत माल की शेष सुपुर्दगी के मूल्य मे वृद्धि की धनराशि का समायोजन इस गारटी बाण्ड मे उसी तिथि से और उसी अनुपात मे कर दिया जाएगा जब से यह परिवर्तन लागू होगा ।

6. हम · · बैंक, आगे इससे भी सहमत है कि यह गारन्टी साज-सामान की सुपुर्दगी के विषय मे उक्त करार/संविदा के निष्पादन के समय तक और जब तक इस गारटी के अधीन या इसकी वजह से सारी बकाया धनराशि पूर्णतया नही चुका दी जाएगी और हमे इसके दावों की संतुष्टि या अदायगी नहीं कर दी जाएगी तब तक पूर्ण रूपेण लागू और प्रभावी रहेगी ।

7. इस गारंटी बाण्ड मे निहित जिम्मेदारी आयातक या . . . बैंक के सघटन मे कोई परिवर्तन हो जाने पर प्रभावित नही होगी, और इस गारंटी मे प्राप्त जिस धनराशि का भुगतान आयातक से कराना है उसको चुकाने के लिए बाध्य करने के लिए सरकार की गारंटी को रद्द किए बिना अपने द्वारा प्रयोग करने योग्य किसी भी अधिकार को किसी समय के लिए या समय-समय पर आयातक के लिए विरुद्ध प्रयोग करने की पूर्ण स्वतत्रता होगी और पूर्वोक्त मामले के सन्दर्भ मे या आयातक को दिए जाने वाले समय के कारण या आयातक को सरकार द्वारा उसकी तरफ से किसी अनुग्रह के कारण कोई अन्य स्थगन कार्य छूट या जिम्मेदारियो से सबधित कानून के अन्तर्गत किसी अन्य मामले मे या किसी भी बात मे सरकार के अधिकार की स्वतत्रता के कारण बैंक इस गारंटी के अधीन अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नही हो जाएगा।

8 हम बैंक, अन्त मे यह वचन देते है कि सरकार को लिखित रूप मे पूर्व अनुमति के बिना इस गारंटी को इसकी चालू अवधि के दौरान रद्द नही करेंगे।

9 इस गारंटी के अन्तर्गत हमारा दायित्व रुपए (इस पर ब्याज व प्रभार के साथ दी गई गारंटी की धनराशि के 1 प्रतिशत की दर से अधिक होने की आशा नही है, तक प्रतिबंधित है) और यह गारंटी दिन* मास 19 तक लागू रहेगी।

10 जब तक इस गारंटी के अतर्गत उक्त तिथि के डेढ़ वर्ष के भीतर लिखित रूप मे दावे नही किए जाते और इसके बाद जैसी तक अगले डेढ़ वर्ष के भीतर जब तक इन दावो को क्रियान्वित करने के लिए कोई मुकदमा नही चलाया जाता या कोई कार्रवाई नही की जाती तो इस गारंटी के अतर्गत सरकार के सभी अधिकार समाप्त हो जाएगे और हम उनमे निहित सारे दायित्वो से छुटकारा पा जाएंगे और मुक्त हो जाएगे।

श्री दिन व तारीख

(नाम और ओहदा) कृते

के द्वारा भारत के
राष्ट्रपति के लिए
उनकी ओर से स्वीकृति।

हस्ताक्षर

*यह तिथि जिस तिथि को सभरको के लिए सभी प्रकार के भुगतान पूर्ण होने की सभावना है, उसमे एक मास जोडते हुए निश्चित की जाएगी।

टिप्पणी —1 उपर्युक्त कडिका 3 और 9 के अनुसार बैंक गारंटी का मूल्य सविदा के मूल्य के लिए आयात लाइसेंस के जारी करने की तारीख को प्रचलित सीमा-शुल्क विनिमय दर मे 1 प्रतिशत जोडकर ही निकाला जाना चाहिए।

2 वह स्टाम्प पेपर, जिसमे यह गारंटी कार्यान्वित होने वाली है, उसे स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अनुसार कलक्टर द्वारा निर्मित किया जाना है।

अनुबन्ध—2

(तीन प्रतियो मे)

[पैरा 25 (4)]

आवेदन पत्र जारी करने के लिये प्रार्थना पत्र

स० दिनाक

सेवा मे,

सचिव वित्त मत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग ई०ई०सी०-1
नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली-1

विषय —फ्रान्स ऋण 1981-82 के अन्तर्गत आयात।

महोदय,

ऊपर उल्लिखित क्रेडिट के अन्तर्गत फ्रान्स से . . .
(माल तथा सेवाओ का सक्षिप्त वितरण)
. का आयात करने के सबध मे हम निम्नलिखित ब्यौरा देते है और एतद्द्वारा एफ०एफ० . . . (लागत तथा भाडा/लागत-बीमा-भाडा) के लिये अनुदेश पत्र जारी करने के लिये आवेदन करते है —

(क) आयातक का नाम और पता

(ख) आयात लाइसेंस

(1) सख्या

(2) दिनांक

(3) धनराशि

(ग) फ्रेंच सभरक का नाम और पता

(घ) सविदा का दिनाक
अथवा

आदेशो की स्वीकृति के संभरकों के अन्तिम पत्र दिनांक

(गैर-फ्रान्सीसी मूल के माल की प्रतिशतता, यदि कोई हो (अब फ्रान्स में निर्मित किया गया हो)

(च) संविदा का मूल्य फ्रांसीसी फ्रेन्कों में पोत पर्यन्त नि शुल्क कीमत (घटा) भारतीय एजेन्ट का कमीशन यदि कोई हो कुल जहाज पर्यन्त नि.शुल्क मूल्य-भाडा जमा लागत तथा भाडा कीमत जमा बीमा यदि फ्रेंच फ्रेक्स मे चुकाया गया हो ण के अन्तर्गत वित्त दान की जाने वाली

कुल कीमत जिसके लिये अनुदेश पत्र के लिये आवेदन किया है (जहाज पर निःशुल्क/लागत-बीमा भाड़ा/लागत बीमा भाडा)

(छ) (1) पोतलदान की तिथिया या वे तिथिया जिनको सेवा कार्य पूर्ण किये जायेंगे।
(2) संविदा में यथा निर्धारित प्रत्येक पोतलदान या पूर्ण किय गये सेवा कार्य का मूल्य।

(ज) उस फ्रांसीसी आवासीय बैंक का नाम जिसके माध्यम से संभरक को भुगतान किया जाना है (अनुबन्ध-5 में सूचीबद्ध II फ्रांसीसी बैंकों में से एक बैंक)।

(1) वह तिथियां जिनको संविदा के अधीन भुगतान देय होंगे

(i) अग्रिम भुगतान के संबंध में (जहाज पर निःशुल्क मूल्य का कम से कम 5 पौंड)

(ii) अन्य भुगतान

2. संविदा की (अथवा प्रत्येक आदेश तथा स्वीकृति पत्र की) और संशोधन (यदि कोई हो) की 10 साक्षांकित प्रतियां और आयात लाइसेंस की दो फोटोस्टेट प्रतियां संलग्न की जाती है।

*3. एक बैंक गारंटी जो ... केवल निजी क्षेत्र के आयातकों के लिये लागू है।

(विदेशी मुद्रा देने के लिये प्राधिकृत भारतीय निर्धारित बैंक का नाम और पता) द्वारा स्थापित की गई है और जो स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 31 के अनुसार स्टाम्प कलक्टर द्वारा न्याय निर्णित की गई है वह भी संलग्न है।

*3. आयात प्रलेख (स्टेट बैंक आफ इंडिया) की शाखा या राष्ट्रीयकृत बैंकों मे से सहायक बैंक का पूरा नाम तथा पता सार्वजनिक क्षेत्र प्रक्रमों राज्य और राज्य सरकारों के लिये लागू है।

3(क) भारत मे उस बैंक का नाम और पता जिसे आवासीय फ्रांसीसी बैंक द्वारा आयात दस्तावेज अग्रेषित किये जाने हैं।

टिप्पणी :—सार्वजनिक क्षेत्रों के संबंध मे (सरकारी विभागों सहित) यह बैंक स्टेट बैंक आफ इंडिया या उसकी सहायक या राष्ट्रीयकृत बैंकों की एक शाखा होनी चाहिये।

3(ख) (केवल निजी क्षेत्र के लिये) उपर्युक्त 3(क) पर उल्लिखित बैंक द्वारा भेजी जाने वाली गारन्टी के ब्यौरे :—

(क) दिनांक

(ख) रुपये मे मूल्य

(ग) जिस तक वैध है।

4. एतद्द्वारा इस बात पर सहमति है कि फ्रांसीसी संभरक को किये गये प्रत्येक भुगतान के लिये लाइसेंस शर्तों में यथा निर्धारित रुपया निक्षेप उपर्युक्त कंडिका 3 मे उल्लिखित बैंक के माध्यम से सरकार के लेखों मे किये जायेंगे। इस बात पर सहमति हो गई है कि आयात दस्तावेज [संभरकों के लिये अग्रिम भुगतान के लिये बीजक (मूल (परक्राम्य) लदान दस्तावेज, बैंक/निष्पादन गारन्टी जो संभरकों आदि द्वारा भेजी गई है] उक्त बैंकर्स द्वारा हमें तभी रिहा किये जायेंगे जबकि उपर्युक्त उल्लिखित देय धनराशि सरकार के लेखे मे जमा करा दी जाती है। हम उपर्युक्त कंडिका 3 में उल्लिखित बैंक के माध्यम से उस बैंक को आवासीय फ्रांसीसी बैंक के प्रभारों (कमीशन डाक, तार खर्चों आदि) को भी प्रेषित करने के लिये सहमत है।

*(जो लागू नहीं है उसे हटा दीजिये)।

5. आप से अनुरोध है कि फ्रेंच क्रेडिट के अन्तर्गत वित्तदान करने के लिये संविदा अनुमोदित करा लें और संभरकों को सीधे भुगतान की व्यवस्था करने के लिये फ्रेंच प्राधिकारियों को आवश्यक प्राधिकरण पत्र जारी करें।

भवदीय,

लाइसेंसधारी

अनुबन्ध 3

(पैरा 28)

दस्तावेजों की निदर्शी सूची

पैरा (28)

1. पोतलदान किए गए उपस्कर के मूल्य तथा किसी भी तत्क्षण भुगतान के ब्यौरे, जैसा भी मामला हो, के लिए वाणिज्यिक बीजक।

2. जहां लागू हो पैकिंग सूचियों सहित मार्ग बेबाक बिलों या चार्टर पार्टी पोतलदान बिलों का वायुमार्ग बिलों जैसा भी मामला हो, का पूरा सैट, यदि कोई प्रमाण-पत्र संविदा में निर्धारित किया गया हो तो वह।

3. आवश्यक सीमा-शुल्क दस्तावेजों सहित संभरकों द्वारा लिखित प्रमाण-पत्र यह प्रमाणित करते हुए कि फ्रांस सरकार द्वारा प्राधिकृत विदेशी व्यय की प्रतिशतता का फ्रांस संभरकों ने अनुपालन किया है।

4. अन्य कोई दस्तावेज।

अनुबन्ध 4

(कंडिका 29)

फ्रेंच क्रेडिट के अन्तर्गत वित्तदान के लिए आयातों के सम्बन्ध में संभरकों को पूर्ण कर दिए गए लदानों, भुगतानों के बाद 1 माम के पश्चात लिखित रूप से भेजा जाने वाला विवरण/आवेदन-पत्र ।

1. आयातक का नाम
2. आयात पावती की सं०.
3. बैंक गारन्टी (1) सं०
 (2) दिनांक
 (3) धनराशि रुपए

(केवल निजी क्षेत्र के आयातक के मामले में)

4. वित्त मंत्रालय के अनुदेश पत्र की सं० और दिनांक :
5. अनुदेश पत्र का मूल्य एफ एफ
6. संभरक को किया गया भुगतान
7. अनुदेश पत्र अप्रयुक्त मूल्य अर्थात् 6 से 7 तक, एतद् द्वारा प्रमाणित वह धनराशि जो समाप्त हो जानी है ।
8. आवासीय फ्रांसीसी बैंक द्वारा दावा की गई वह धनराशि अर्थात् बैंक प्रभार, डाक एवं तार प्रभार जो बैंक द्वारा सीधे प्रेषित कर दी गई है :—
 (1) प्रेषण की तिथि
 (2) प्रेषित धनराशि
9. संभरकों को किए गए भुगतान और तदनुरूपी रुपया निक्षेपों के ब्यौरे :—

संभरक को भुगतान दिनांक.... धनराशि एफ एफ में	तदनुरूपी रुपया निक्षेप स्टेट बैंक आफ इंडिया/रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के राजकोष चालान का दिनांक	धनराशि रुपए में
(1)		
(2)		
(3)		
कुल		

अल्प निक्षेपों से संबंधित और अतिरिक्त निक्षेप

हम यह प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त भेजी गई सूचना हमारे रिकार्ड के अनुसार सही है । हम एतद द्वारा इस अनुदेश पत्र से संबद्ध मामले की शर्त के लिए भी अनुरोध करते हैं । उपर्युक्त संदर्भित बैंक गारन्टी को रद्द किया जाए और हमें लौटाया जाए ।

प्राधिकृत हस्ताक्षर

अनुबन्ध 5

आवासीय बैंकों की सूची

1. बैंक फेन्काइज डयू कामर्स एक्सटीरियर
 21, बिल्डिंग होसमन्न
 75009 पेरिस
2. बैंक नेशनल डि पेरिस
 16, बिल्डिंग डेस इटा लीन्स
 75009
3. सोसायटी जनरली
 29, बिल्डिंग होसमन्न
 75009 पेरिस
4. क्रेडिट लियोनिस
 19, बिल्डिंग डेस इटालीन्स
 75002, पेरिस
5. क्रेडिट इन्डस्ट्रियल एट कामर्सियल
 66, रयू डी ला विक्टोरी, 75009
6. बैंक डी. ल,' यूनियन यूरोपीन्यू, 4/6 रयू गैसन,
 75002 पेरिस
7. क्रेडिट कामर्सियल डी फ्रान्स,
 103 आवे डेस चैम्पस इलाइसीज,
 75008 पेरिस
8. बैंक इन्डोस्यूएस,
 44, रयू डी कोर्सेलीज
 75008 पेरिस
9. बैंक लुइस ड्रेपस, 6 रयू रखेलाइस
 75008 पेरिस
10. बैंक पारिबास, 3, रयू डी' एन्टिन
 75002 पेरिस
11. क्रेडिट डयू नोर्ड, 57/59 बिल्डिंग होसमन्न,
 75008 पेरिस

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 36-ITC(PN)|83

New Delhi, the 30th August, 1983

Sub:—Licensing conditions of Indo-French General Protocol 1981-82 (French Credit 1981-82)

F. No. IPC|23(8)|83.—The terms and conditions regarding licensing conditions of Indo-French General Protocol 1981-82 as given in the Appendix to this Public Notice, are notified for information.

P. C. JAIN, Chief Controller
Imports & Exports

APPENDIX TO MINISTRY OF COMMERCE PUBLIC NOTICE NO 36—ITC(PN)|83 DATED 30TH AUGUST, 1983.

I. Import Licence

This import licence will be issued on CIF basis, with initial validity period of four months for contractng and twelve months for completing shipments. However, in the case of capital goods imports, the initial validity of the licence for competing shipments will be twenty four months from the date of issue.

2. The rupee value of the import licence shall be determined with reference to the exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs) and prevailing on the date of issue of the import licence and indicated in the body of the import licence(s) as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC(PN)|74 dated the 6th June, 1974, issued by the CCI&E, which also enjoins that the Customs Authorities and the authorised dealers in foreign exchange will make debits to the value of the licence(s) at the exchange rate specified on the import licence(s).

3. Each import licence will bear a supersription, "French Credit—Project Portion" or "French Credit Non-Project Portion" as the case may be. The two suffixes in the licence code classification number will be—for project—"S|FE" and for non-project "S|FN".

4. Within a fortnight of the receipt of the import licence, the importer should intimate to the Department of Economic Affairs (EEC.I Section) the fact of receipt of the import licence indicating the number, date and value of the import licence and likely date by which the contract document would be furnished.

5. The condition regarding contracting will not be deemed to have been complied with unless complete contract documents, as provided in para 25 below, are furnished within the stipulated period of four months.

6. Where this stipulation is not complied with within four months, the import licence will be deemed to have become invalid. The import licence may, however, be revalidated on an application by the party, alongwith the licence in original, to the licensing authority giving reasons for not complying with the requirements in time.

7. Such request for revalidation would be considered on merit by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If, however, extension, is sought beyond 8 months from the date of issue of the import licence, such proposals will inveriably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (EEC.I Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi.

II. CONTRACTING

8. Against an import licence issue under the French Credit only one contract on the basis of firm price has to be entered into with the French Supplier.

9. However, more than one contract under one import licence may be entered into subject to the permission specifically obtained from the Department of Economic Affairs, giving reasons for doing so, before placing orders.

10. Once a contract has been notified, in accordance with the procedure laid down in Section V below, no amendments to the contract, by way of additions thereto exceeding 10 per cent of the value of the main contract will be entertained.

If, in any case, the India importer apprehends that there will be need to enter into amendments to the main contract resulting in the enhancement of its value by more than 10 per cent, he should immediately inform the CCI&E and EEC.I Section of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance of the full facts of the case and seek their guidance.

11. A contract will normally comprise an Agreement signed by both the parties viz the Indian importer and French Supplier or it may comprise the order placed by the Indian importer and the letter of acceptance thereof in unequivocal terms by the French Supplier.

12. A contract comprising a series of correspondence between the two parties, frequently amending|revising various provisions will not be accepted. In such cases, it shall be necessary to prepare a final document including therein the terms agreed to by the parties and signed a such—Orders on Indian Agents of overseas supplier and| or under confirmation by such Indian Agents are not acceptable.

III. TERMS OF CONTRACT

13. The contract should be placed on C.I.F. basis. If insurance is paid to an Indian Insurance Company in Indian rupees, the contract can be placed on C&F basis, which is in any case compulsory for contracts signed by a government agency or a public sector undertaking. The contract should clearly indicate FOB price, freight and insurance charges separatey in the case of CIF contracts and the FOB price and freight charges in the case of C&F contracts.

If any importer desires to enter into a contract on F.O.B. basis, he should seek prior permission of the Department of Economic Affairs (EEC.I Section), Ministry of Finance, New Delhi giving reasons for doing so.

14. If any commission is to be paid to the Indian agent of the French suppliers, it will be shown separately from the value of the contract in French Francs. The Indian agent's commission will be paid in rupees but will be charged to the value of the import licence.

15. The rupee value of the contract will be determined in accordance with the rate of exchange applicable to the import licence vide para 2 above.

Value Limits of Contracts :

16. The value of each contract should not fall below the amount indicated against each category as under:—

	F.F.
(i) Large (heavy) Industrial Projects and Projects for heavy equipment (Project Line).	5,000,000
(ii) Fertilizers (Non-project)	7,00,000
(iii) Other goods (Non-project Line)	80,000

Origin of Goods :

17. The goods should be of French origin. A stipulation as to the origin of goods should be incorporated in the contract. Wherever a part of the goods is permitted to be of non-French origin, a letter evidencing approval of the French authorities to the third country imports should accompany the contract.

Port of Shipment :

18. Goods, if necessary, can be shipped from non-French ports.

Payment Terms :

19. The French Credit does not provide for deferred payments. Full payment will therefore be made to the French supplier against shipments| completion of erection|commissioning of the plant as indicated in the following paragraps.

20. Advance payments.—An advance payment of at least a 5 per cent of the FOB price of the supplies to be paid at the time of the contract coming into effect, must be provided. Other terms settled between the buyers and the sellers, in accordance with the normal international commercial practice for the particular type of goods concerned could also be provided.

21. However, where an amount higher than 5 per cent is to be provided for payment as an advance, prior approval of the Department of Economic Affairs should be obtained with full justification, before any commitments are made.

22. Other Payments : (a) Industrial Projects : Apart from the amount of down payment, it is permissible to pay the balance amount at the time of last shipment of equipment under the contract, or at the time of completion of erection, or on commissioning of the plant.

Where the nature of supplies|services covered by the contract requires a performance guarantee, necessitating a provision to the effect that the last instalment of 10 per cent shall not fall due prior to the end of an adequate period after completion of the deliveries of goods or of the project, the importer should alternatively agree to the provision for making hundred per cent payment at the time of last shipmet subject to the condition that a performance guarantee of an approved bank is furnished by the French supplier to the Indian importer; such a guarantee should be discharged at the end of an adequate period after the delivery of the last shipment as agreed mutually between the Indian importer and French Supplier.

However, depending on the type of project, the payment for contract for industrial projects may also be provided for, as for the commodities, referred to in sub-paragraph (b) below.

(b) Commodities : In the contract for commodities (light equipment, spares, components, chemicals, fertilizers, other raw materials etc.) the amount left after down payments will be payable pro-rata according to the value of the goods covered by each shipment, on the basis of the shipping schedule :

Other Conditions:

23. To make a contract eligible for financing under the French Credit it should suitably incorporate the following provisions, apart from those indicated above as also any other condition considered necesary by the contracting parties:

(i) The two contracting parties agree that the contract is subject to the approval of the Indian and the French authorities for financing under the French Credit in terms of the Indo-French Financial Protocol and the licensing conditions issued there under by the Government of India.

(ii) The French supplier agrees that he will be paid in French Francs on presentation of documents to one of the domicillary banks listed in Annexure V to these licenceing conditions. The payments will be made by the domicillary bank, on the basis of a "Letter of Irrevocable Instructions" issued by the Controller of Aid Accounts & Audit,

Ministry of Finance, after approval of the contract by the Indian and French Authorities.

(iii) The importer and the French Supplier agree to furnish such information and documents as may be required under the Government of India and France.

(iv) Industrial Projects: The Indian importer, the French supplier, and the suppliers co-assignees, if any, agree that all sums which might fall due for any reason whatsoever by the supplier to the importer, will be assigned to the "Domicillary Bank" suppliers will make direct payment to the domicillary bank of all amounts which might be due to the importer from the supplier and their codebtors, if any, for the purpose of such assignment letters of "delegation" as may be prescribed are to be exchanged at the request of Ministry of Finance| French Authorities.

Customary Guarantee

24. The importer may arrange and provide for in the agreement customary guarantee (s) which may be necessary for safeguarding his interest.

IV. SUBMISSION OF CONTRACT DOCUMENTS

25. Within 20 days of the conclusion of the contract, the importer should send a letter accompained by the following documents to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (EEC.I Section), North Block, New Delhi:—

(i) Ten certified copies of the contract and of any further amendment (s) duly executed in English language with dated signatures thereon by both the Indian importer and the French supplier.

(ii) Two photo copies of import licence valid for contracting on the date of execution of the contract|acceptance by French supplier of the order placed on him by the importer.

(iii) A bank guarantee (as in Annexure. I) obtained from a schedule bank authorised by the Reserve Bank of India to deal in foreign exchange. This bank guarantee is not to be furnished by the Government departments and public undertakings.

(iv) A request (in triplicate) for issue of Letter of Authority in the form prescribed in Annexure. II. The contract will be processed further only after the documents listed in i to iv above have been furnished by the importer.

V. NOTIFICATION OF CONTRACT

26. The contract will be notified by the Department of Economic Affairs, to the Counsellor for Economic Affairs, Embassy of France. New Delhi, provided the contract is complete, the documents, including the bank guarantee, etc., are in order, the import licence is valid for contracting and is considered eligible for financing under the French Credit.

27. The contract will be deemed to have become effective 20 days after its notification as above by the Department of Economic Affairs, provided no objection is raised by the Embassy of France within that period.

VI. METHODS OF PAYMENTS

28. Payments are made to the supplier from the French treasury loan and the banks credit, on presentation of documents listed in Annexure. III to the domicillary bank, specified in the contract or when the same is not specified in the contract to the Banque Francaise Due Commerce Exterieur, Paris, on the basis of a "Letter of Instruction" to be issued by the Controller of Aid Accounts & Audit, Deperatment of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi on effectuation of the contract.

29. No remittance from India are permissible under the import licence under the French Credit, except in terms of condition 31 below.

30. After payments have been effected in accordance with the letter of instructions referred to above, the paid documents viz commercial invoice for the advance and progress payments, Bank guarantees, if any, the original set of negotiable documents etc., along with the details of bank charges (1|8th of one per cent documentation charge, plus tax 17.6% thereon) and expenses on postage etc., will be sent by the domicillary bank to :—

(i) the importer's bank in India, which has provided the bank guarantee in the case of importers in the private sector; or

(ii) to the nominated branch of the State Bank of India, or of any of the fourteen nationalised banks as indicated in the Letter of Instruction in the case of public sector undertakings. State Governments including State Electricity Boards; and Departments of the Central Government.

31. Within a week of receiving the intimation about bank charges, from the docmillary bank the Indian bank will remit the amount of banking charges and postage including cable charges directly to the French Bank concerned without affecting the Government of India's account.

32. For this purpose, necessary rupees will be collected by the Indian bank from the Indian importer, in addition to the amount required under their guarantee.

33. In respect of imports by Central Government departments also, the remittances of banking charges and postage including cable charges will be arranged direct by the bankers of the Central Government Departments to whom the documents are sent.

VII. EFFECTING RUPEE DEPOSITS

34. Within ten days, at the maximum of receipt of the documents mentioned in condition 30 supra, the bank which has issued the guarantee, or the nominated branch of the State Bank of India or the nationalised banks will arrange the deposit of rupee equivalent of the payments made to the foreign suppliers as indicated in the invoice together with commission and incidental charges @ 1% ad valorem, on the payments made to the suppliers. In addition, interest on the above (i.e. rupee equivalent plus 1% Ad valorem) at 9 per cent per annum for first thirty days and at 15% per annum for the peiod in excess thereof in terms of Public Notice No. 46-ITC(PN)|76 dated 16-6-1976 for the actual period between the date of payment to the foreign suppliers and the date of deposit of rupee equivalents etc., or|any other amounts, as may be required by the Government of India shall also be paid into the government account. The provision regarding payment of interest will not apply to Central Government Departments.

The rupee equivalent will be calculated at the composite rate arrived at on the basis of the formula given in Public Notice No. 15-ITC(PN)|72 dated 28-1-72 as amended by the Public Notice No. 108-ITC(PN)|72 dated 21-7-72, Public Notice No. 8-ITC(PN)|76 dated 17-1-76 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the Chief Controller of Imports and Exports.

35. It will be the responsibility of the concerned bank in India which has given the gurantee or the nominated branch of the State Bank of India or the nationalised bank, as the case may be, to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before the original documents (referred to in para 30 supra) received from the domiciliary bank, are handed over to the importer. The importer should also ensure that the amounts due are correctly deposited into government account, before taking delivery of the documents from their bankers.

36. Deposits may be made in cash either at the Reserve Bank of India, New Delhi, or the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 or remitted by means of a demand draft from the local branch of the State Bank of India, or its subsidiaries, drawn on and made payble to the State Bank of India, Tis Hazari Branch Delhi-6 (drawee and payee) for credit to the Central Government Account. The deposit should be made in the challan form prescribed in Public Notice No. 74-ITC (PN)|74 dated 31-5-74. The demand draft should be sent direct to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 with treasury challan, (duly filled in and signed by remitter) in quadruplicate. The Head of Account to be credited is "K-Deposits & Advances (b) Deposits not bearing interest 843 Civil Deposits for purchases from abroad under FF 550 million French General Credit, 1981-82"

37. One copy of the treasury challan and form evidencing the rupee deposits duly receipted by the Reserve Bank of India, or the State Bank of India, Tis Hazari Branch Delhi-6, as well as the intimation regarding the furnishing of demand draft to State Bank of India, Tis Hazari Brach, Delhi-6 should be sent by registered post by the Bank concerned to the Cotroller of Aid Accounts & Audit indicating reference to the letter of instruction issued by him. In accordance with Note 1 under the format of the treasury challen prescribed in Public Notice No. 74-ITC (PN)|74 dated 31-5-74 the date of posting the demand draft will be deemed to be the date of deposit of rupee equivalent in the Government Account. To ensure recovery of interest from importers for the correct period, it is essential that the date of posting of the demand draft is invariably intimated to CAA&A in each case.

38. It will be obligatory for the importer to make the requisite rupee deposits through Authorised dealers only. The Indian bank will also endorse the amout of rupee deposits on the exchange control copy of the import licence as required in Public Notice No. 184-ITC (PN)|68 dated 30-8-68 and send the requisite 'S' form to the Reserve Bank of India, Bombay.

Review of rupee deposits made by the importer.

39. As soon as the shipments are completed or final payment is made to the supplier, but not later than one month after the last shipment is cleared or last payment to supplier is made a statement in the form given in the Annexure-IV will be rendered by the importer's bank to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street New Delhi under a registered cover, under advice to the importer. It will be obligatory on the part of the importer to ensure that Annexure-IV is correctly prepared by the Bank concerned and is rendered to the Controller of Aid Accounts & Audit within one month of the completion of shipments authorised in the relevant Letter of Instructions. Statement in Annexure IV is necessary for closing the importers account and for releasing the Bank guarantee wherever.

Any short deposits coming to notice of importers' banks or pointed out by the CAA&A will be immediately made good and a copy of the relevant receipted treasury challan forwarded to CAA&A for closing the imporers' account.

VIII. MISCELLANEOUS

40. The Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, which may arise, between the Indian importer and the French suppliers or between the Indian importer and the Indian bank concerned.

41. The Indian importer shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by Government from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under he credit agreement with the French Government and French banks.

42. Any breach of violation of any of the condition prescribed herein will result in appropriate action under the Import and Exports (Control) Act 1947 and orders issued thereunder.

ANNEXURE—I

[Para 25 (iii)]

BANK GUARANTEE BOND

To

The President of India,

In consideration of the President of India (hereinafter called the Government) having agreed to arrange for payment in French Francs for the import of by(hereinafter called the importer) under the terms and conditions of the French Credit and in pursuance of Import Licence No..... issued on for Rs. in favour of the importer against the above mentioned credit, we Bank, at the request of the importer hereby undertake to arrange to deposit the amount of the disbursements made by the domiciliary French Bank within ten days of the receipt of the advice of payment Indian rupee equivalent of FF converted at the composite rate of exchange of FF arrived at on the basis of the formula given in Public Notice issued by the Ministry of Foreign Trade, New Delhi, No 15—ITC(PN)/72 dated 28-1-72 as amended by Public Notice No. 108-ITC (PN)/72 dated 21-7-72 or as notified from time to time in public notices of the Government of India or A.D. Circulars of the Reserve Bank of India alongwith commission and other charges at 1% ad valorem converted at the above rate for credit to the Government account in the manner and against the appropriate Heads of Account as indicated by the Government of India under the said credit, together with interest thereon at the rate of 9% per annum for the first thirty days and at 15% per annum for the period in excess thereof reckoned from the date of payment to the French Supplier to the date of deposit of rupee equivalent for credit into the Government account. We shall arrange the deposit in cash to the credit of the Government in the Reserve Bank of India, New Delhi/State Bank of India, Tis Hazari Branch Delhi-6, or where this may not be feasible, by means of a Demand Draft drawn on and made payable to the State Bank of India, Tiz Hazari Branch, Delhi-6 (for credit to Central Government Account). The demand draft shall be sent direct to State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 alongwith Treasury Challan (duly filled in and signed by remitter) in quadruplicate

2. We, the Bank, also undertake that the negotiable set of import documents and/or other documents pertaining to the payments to the supplier will be released to the importer only after the rupee deposits contemplated above have been made.

3. We, the Bank, also undertake to indemnify and keep indemnified the Government against any default in payment by the importer of any sum that may be due and payable from time to time by the importer to the Government at such place and in such mannor as the Government may direct, such sums not exceeding Rs..... or any part thereof, for the time being due and payable by the importer together with commission and other charges @1% ad valorem and interest thereon at the rate of 9% per annum for the first thirty days and at 15% per annum for the period excess thereof reckoned from the date of payment to the French supplier. The decision of the Government as to any default in the said payment by the importer, or on his part and in regard to the amount payable to the Government by us.... Bank, shall be final and binding on the Bank.

4. We Bank, also undertake to remit the banking postal and cable charges payable to the French Bank concerned without affecting the Government of India's account.

5. We Bank further agree that in case of increase in the value of imports or increare in the value of unfulfilled deliveries under the contract as a result of change in composite rate of exchange or otherwise the amount of this guarantee bond will be adjusted to this change.

6. We Bank, further agree that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said agreement/contract regarding delivery of the equipment and that it shall continue to be enforeced till all the dues to the Government under, or by virtue of this guarantee have been fully paid and its claims satisued or discharged.

7. The Guarantee herein contained shall not be affected by any change in the constitution of the importer or the Bank and the

Government shall have the fullest liberty without affecting the guarantee to postpone for any time and from time to time any of the powers exercisable by it against the importer and either to enforce payment by the Importer of any of the amount the payment whereof is intended to be hereby secured and the Bank, shall not be released from its liability under this guarantee by any exercise of the Government of the liberty with reference to the matters aforesaid or by reason of time being given, to the importer or any other forebearance, act or omission on the part of the Government of any indulgence by the Government to the importer or by any other matter or thing whatsoever under the law relating to sureties shall, but for this provision, have the effect of so releasing the Bank from its such liability.

8. We Bank, lastly undertake not to revoke this guarantee during its currency except with previous consent of the government in writing.

9. Our liability under this guarantee is normally restricted to Rs.....(plus interest charges not expected to exceed one per cent of the guaranteed amount) and this guarantee shall remain in force till the day* of (month), 19.....

10. Unless claims under this guarantee are made in writing within 1 1/2 years of the above said date and unless a suit or action to enforce these claims is commenced within another 1 1/2 years thereafter, i.e. upto all rights of the Government of India under this guarantee shall be forfeited and we shall be relieved and discharged from all liability thereunder.

Dated day of

for

Accepted for and on behalf of
the President of India

by Shri
(Name & Designation)

Signature

*This date shall be arrived at by adding one month to the date by which all payments to the Supplier's are expected to be finalised.

Note : 1. The value of the Bank guarantee, vide paras 3 and 9 above should be worked out by adding 1% to the value of the contract at the customs exchange rate prevailing on the date of issue of import licence.

2. The value of the Stamped paper on which guarantee is to be executed is to be adjudicated by the Collector of Stamps in accordance with section 31 of the Stamps Act, 1899.

ANNEXURE—II

(in Triplicate)

[para 25 (iv)]

Request for issue of Letter of Instruction

No.

Date

To

The Secretary,
Ministry of Finance,
Deptt of Economic Affairs,
EEC.I Section, North Block,
New Delhi.

Sub : Import under the French Credit, 1981-82

Sir,

In connection with the import of (short description of the goods or services)

from France under the above credit we furnish the following particulars and hereby apply for the issue of a Letter of Instruction for FF..... (C&F/CIF)

(a) Name and Address of importer.

(b) Import Licence:

(i) Number

(ii) Date

(iii) Amount

(c) Name and Address of the French Suppliers:

(d) Date of the Contract:

OR

Date of Suppliers final letter of acceptance of the order

(e) Percentage of goods of non-French origin if any (now-manufactured in France).

(f) Value of the contract in French Francs

FOB Price

Less—Indian Agent's Commission if any.

.....

Net FOB Price

Plus Freight

C&F Price

Plus—Insurance, if payable

in French Francs

.....

Total Price to be financed under the credit, for which Letter of Instructions is applied for(FOB/C&F/CIF)

(g) (i) Dates of shipment or dates on which services will be performed.

(ii) Value of each shipment or service performed, as stipulated in the contract.

(h) Name of the French domiciliary Bank through whom the supplier is to be paid (one of the 11 French Banks listed in Annexure IV).

(i) The dates on which payments under the contract will fall:

(i) in respect of advance payment (at least 5 of FOB value).

(ii) Other payments.

2. Ten certified copies of the contract (or each of the order and the letter of acceptance) and of the amendment (if any), and to photostat copies of the import licence are enclosed. Applicable to importers in private sector.

*3. A bank guarnatee established by name and address of the Indian Bank, authorised to deal in foreign exchange and which has been duly adjudicated by the Collector of Stamps, in accordance with Section 31 of the Stamp Act, 1899 is also enclosed.

Applicable to the Public Sector Undertaking State and Central State Government

*3. The import documents may be sent to the (complete name and postal address of the branch of State Bank of India or of subsidiaries of any of the nationalised banks).

3(a) Name and address of the Bank in India to whom the import documents are to be forwarded by domicillary French Bank.

Note: In respect of the Public Sector (including Govt. Deptts.) this bank should be one of the branches of the State Bank of India or its subsidiaries or of the nationalised banks.

(b) (for private sector only)

Details of guarantee furnished by the Bank mentioned at 3(a) above:

(i) Date

(ii) Value in Rs.

(iii) Valid upto:

4. It is hereby agreed that, for each payment made to the French supplier rupee deposit as contemplated in the Licencing conditions, will be made to the Government account, through the Bank mentioned in 3 above. It is also agreed that the import documents (invoices for advance payment to suppliers, original (negotiable) shipping documents, Bank/performance guarantees furnished by suppliers etc)., will be released to us by the above said bankers only after the dues mentioned above are deposited into Government account. We also agree to remit the domiciliary French Bank's charges (Commission postal charges, cable charges etc.), to that Bank, through the bank mentioned at 3 above.

*Delete whichever is not applicable.

5. You are requested to get the contract approved for financing under the French Credit and issue necessary authorisation to the French authoriteis to arrange for payments to the suppliers or their bankers.

Yours faithfully,
Licensee

ANNEXURE—III

(Para 28)

ILLUSTRATIVE LIST OF DOCUMENTS

1. Commercial invoice for the value of equipment shipped and for details of any down payments, as the case may be.

2. Complete set of clean-on-board ocean or charter party bills of lading or airway bills, as the case may be, with packing lists where applicable; certificate, if any prescribed in the contract.

3. Written attestation from the suppliers alongwith necessary customs documents, certifying that the French suppliers have complied with the percentage of Non-French expenses authorised by the French Government.

4. Any other documents.

ANNEXURE- IV

(Para 29)

Statement/application to be submitted written/1 month after the completion of shipments or completion of payments made to the suppliers in respect of imports financing under French Credit:

1. Name of the importer

2. Import Receive No.

3. Bank guarantee

(i) No.

(ii) Date

(iii) Amount Rs.

(In respect of Private sector importer only)

4. Ministry of Finance, Letter of Instruction No. & Date.

5. Value of Letter of Instruction FF.

6. Total of the payment made to supplier:

7. Unutilised value of the Letter of Instruction, i.e. 6-7, which amount is hereby certified to be lapsed:

8. Amount claimed by the domicillary French Bank i.e. bank charges, postal and cable charges etc., which have been remitted to that bank direct:

(i) Date of remittance:

(ii) Amount remitted:

9. Details of payment made to the supplier and corresponding rupee deposits

Payment to supplier		Corresponding rupee deposit	
Date	Amount in FF	Treasure challan of SBI/RBI Date	Amount Rs.
(i)			
(ii)			
(iii)			
Total			

Further additional deposits relating to short credits.

.....

.....

We certify that the information forwarded above to be correct as per our records. We also hereby request for clause of the case relating to this Letter of Instruction. The bank guarantee referred to above may kindly be cancelled and returned to us.

Authorised signature

ANNEXURE V

List of domicillary banks

1. Banque Francaise Du Commerce Exterieur,
 21, Bld Haussmann,
 75009 Pairs.
2. Banque National De Paris,
 16, Bld des Italiens,
 75009.
3. Societe Generale
 29, Bld Haussmann,
 75009 Paris.
4. Credit Lyounais,
 19, Bld des Italiens,
 75002 Paris.
5. Credit Industriel at Commercial,
 66, rue de la Victorie,
 75009 Paris.
6. Banque De L'union Europeenue,
 4/6 rue Gaillon,
 75002 Paris.
7. Credit Commercial De France,
 103 ave des champs Elysees,
 75008 Paris.
8. Banque Indosuex,
 44, rue de Courcelles,
 75008 Paris.
9. Banque Louis Dreyfus,
 6 rue Rabelais,
 75008 Paris.
10. Banque Paribas,
 3 rue d' Antin,
 75002 Paris.
11. Credit Du Nord,
 57/59 bld Haussmann,
 75008 Paris.

667 GI/83—3

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983